1

कार्यालय अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय कन्या महाविद्यालय बालोतरा

क्रमांकः– मविस / लेखा / 2024 / 95 दिनांकः– 11/06/2024

बोली आमंत्रण सूचना संख्या – 01 / 2024–25

इस महाविद्यालय की विकास समिति की ओर से निम्नाकिंत सेवाओं के उपापन पर मानव सेवाएं लिए जाने हेतु अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाताओं / संवेदकों (Service Provider's) से मुहरबन्द बोली निर्धारित बोली प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 18.06.2024 को सांय 6.00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक 19.06.2024 को मध्यान्ह 02.00 बजे तक प्राप्त की जाएगी। सभी प्राप्त बोलीयों को दिनांक 19.06.2024 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं / संवेदकों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी। बोली प्रपत्र कार्यालय की वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in / college / ggcbalotra तथा www.sppp.rajasthan.gov.in पर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। बोली आमंत्रण की शर्ते कार्यालय के सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है। कार्य का सम्पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	कार्य / आईटमस् का नाम	अनुमानित लागत(लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली सुरक्षा राशि (धरोहर)
1	निम्नाकिंत मानव द्वारा किये जाने वाले कार्यो हेतु प्रशिक्षित कार्मिक, दर अनुबधं पर मानव सेवा उपलब्ध कराना :– 1 कम्पयुटर ऑपरेटर 2 सफाई कर्मी 3 रात्रिकालीन चौकीदार 4 सहायक कर्मचारी	6.00	200 / –	2 प्रतिशत

इस कार्य की अन्य शर्ते निम्न प्रकार से होगी :–

1 खुली बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज तथा शर्ते कॉलेज बेबसाईट पर देखी जा सकती है।

2 श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने संबंधी पंजीयन होने वाले सेवा प्रदाता ही निविदा को भरने के योग्य होगें।

3 बोली निर्धारित बोली प्रपत्र में ही भरनी होगी, जो निर्धारित शुल्क डी.डी. / बैंकर चैक जमा कराकर कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रपत्र कॉलेज की वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकेगा, लेकिन **निर्धारित शुल्क (प्रपत्र शुल्क) तथा बोली सुरक्षा राशि (धरोहर) का डी.डी. / बैंकर चैक, जो अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय कन्या महाविद्यालय बालोतरा के पक्ष में होगा, बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा। नकद स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

4 बोली प्रपत्र में सभी मानव सेवाओं की माहवार पारिश्रमिक दर व अन्य कर उनके सामने अंकित कालम(निविदा प्रपत्र) में दर्शाना होगा। अनुबधं 31.03.2025 के लिये किया जायेगा, जो पारस्परिक सहमति से अधिकतम 03 माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

5 किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षर–कर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

6 निर्धारित तिथि को सार्वजनिक **अवकाश** घोषित होने पर अगले कार्यदिवस को निविदा प्राप्त कर व निविदा खोली जायेगी।

अध्यक्ष एवं प्राचार्य
महाविद्यालय विकास समिति
राजकीय कन्या महाविद्यालय
बालोतरा

क्रमांकः–मविस / लेखा / 2024 / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित हैः–

1 जिला कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / आयुक्त नगर परिषद / विकास अधिकारी पं.स. बालोतरा को सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

2 कार्यालय सूचना पट्ट।

3 सम्पादक...को न्युनतम स्पेस में डी.पी.आर. दर पर प्रकाशन हेतु।

अध्यक्ष एवं प्राचार्य
महाविद्यालय विकास समिति
राजकीय कन्या महाविद्यालय
बालोतरा

95-98
11/6/24

(2)

कार्यालय अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय कन्या महाविद्यालय बालोतरा

बोली प्रपत्र

बोली आमंत्रण सूचना संख्या :– 01/2024–25 अनुमानित लागत :–6.00 लाख
बोली दस्तावेज विक्रय तिथि :– दिनांक 12.06.2024 को प्रातः 9.00 बजे से दिनांक 18.06.2024 सांय 6.00 बजे तक
बोली दस्तावेज प्राप्त करने की तिथि :– दिनांक 19.06.2024 को मध्यान्ह 02.00 बजे तक
बोली दस्तावेज खोलने की तिथि :– दिनांक 19.06.2024 को मध्यान्ह 03.00 बजे

क्रं. सं.	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगीं।				सामग्री राशि/ उपकरण किराया(कम्पयूटर मशीन विद प्रिन्टर)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज **राशि**	कुल **राशि** (प्रति व्यक्ति)
	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर(श्रम विभाग अनुसार)	EPF दर **प्रतिशत**	ESI दर **प्रतिशत**			
1	2	3	5	6	7	8	9
1	उच्च **कुशल**	9334	नियमानुसार	नियमानुसार			
2	**कुशल**	8034	नियमानुसार	नियमानुसार			
3	अर्ध **कुशल**	7722	नियमानुसार	नियमानुसार			
4	**अकुशल**	7410	नियमानुसार	नियमानुसार			

Note ;- Tax extra As per Rules

स्थानः– सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर मय रबड़ स्टाम्प

बोली की अन्य शर्ते निम्नप्रकार से रहेगीः–

1. डाक द्वारा ओर विलम्ब से प्राप्त बोली तथा सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। काट व छांट या पेंसिल से भरी हुई बोली मान्य नहीं होगी।
2. निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर अगला कार्यदिवस को बोली दस्तावेज प्राप्त व खोले जा सकेगें।
3. न्युनतम दर वाली बोली स्वीकार करना या नहीं करना उपापन समिति के लिये बाध्यकारी नहीं होगा। कार्य के अनुभव व गुणवत्ता के आधार पर उच्च दर वाली बोली को स्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार उपापन समिति को होगा।
4. उपरोक्त मानव द्वारा किये जाने वाले कार्यो हेतु प्रशिक्षित श्रमिकों की पंजिकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगीः–
   - A. कम्पयुटर ऑपरेटर :– स्नातक, आई.टी.आई. कम्पयूटर /ओ–लेवल /ए–लेवल / पी.जी.डी.सी.ए. कोर्स या समकक्ष उतीर्ण, हिन्दी व अग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान तथा सभी प्रकार के साफटवेयर संचालन करने में दक्ष।
   - B. रात्रिकालिन चौकीदारः– साक्षर (सेवानिवृत् राज्य कर्मचारी अथवा भूतपुर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जायेगी)
   - C. सफाईकर्मी :– साक्षर (सेवानिवृत राज्य कर्मचारी अथवा भूतपुर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जायेगी)
   - D. **सहायक कर्मचारी** :– 10 वीं पास (सेवानिवृत राज्य कर्मचारी अथवा भूतपुर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जायेगी)
5. **बोली निर्धारित बोली प्रपत्र में ही भरनी होगी, जो निर्धारित शुल्क डी.डी./बैंकर चैक जमा कराकर कार्यालय समय** में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रपत्र कॉलेज की वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in / college / ggcbalotra तथा www.sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकेगा, लेकिन निर्धारित शुल्क का डी.डी. /बैंकर चैक, जो अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय कन्या महाविद्यालय बालोतरा के पक्ष में होगा, बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा।
6. श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने संबंधि पंजियन होने वाले सेवा प्रदाता ही बोली दस्तसवेज के भरने योग्य होगें। उक्त पंजियन प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा।
7. कम्पयूटर ऑपरेटर के कार्य की अवधि कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक होगी लेकिन कार्य विशेष होने पर कार्यालय समय के पश्चात् भी रुकना होगा। आवश्यकता होने पर कभी भी बुलाया जा सकेगा ओर कार्य की गोपनीयता बनाये रखनी होगी।

अध्यक्ष/सचिव
महाविद्यालय विकास समिति
डी.आर.जे. राजकीय कन्या महाविद्यालय
बालोतरा

8. सफाई का क्षेत्र महाविद्यालय का सम्पूर्ण खुला परिसर, शौचालय तथा चारदिवारी के अन्दर का सम्पूर्ण खुला परिसर रहेगा।
9. सफाई कार्य प्रतिदिन सुबह 10.00 बजे से पूर्व करना होगा । प्रतिमाह पड़ने वाले रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश सफाई कार्य से मुक्त रहेगें। यदि किसी रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को महाविद्यालय खुलने या निर्देशित होने पर सफाई कार्य करना होगा।
10. चौकीदारी का कार्य निर्धारित समय सायं 5.00 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक होगा। आवश्यकता होने पर कभी भी कार्यालय समय में बुलाया जा सकेगा। प्रति सप्ताह रविवार के एवज् में किसी एक दिन अवकाश देय होगा। इससे अधिक अवकाश लेने पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। राजकीय अवकाश का लाभ नहीं दिया जायेगा। **चौकीदारी का कार्य समय सायं 5.00 बजे से प्रातः 9.30 बजे यदि किसी प्रकार की हानि/चोरी होती है तो इस हानि/चोरी के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी जिम्मेदार रहेगी।**
11. सफल सेवा प्रदाता ठेका या उसके किसी भाग को सबलेट नहीं करेगा।
12. ठेका कार्य पर असक्त, बीमार एवं बाल श्रमिक नहीं लगा सकेगा और कार्य पर रखे जाने वाले श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी। श्रमिक कानून की पालना करने का सम्पूर्ण उतरदायित्व सेवा प्रदाता का ही होगा।
13. बोली दस्तावेजों में उल्लेखित किसी कार्य को सरकार के हित में घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
14. ठेका कार्य पर नियोजित श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदुरी का भुगतान करने तथा ठेका अवधि में सरकार द्वारा मजदुरी दरों में **संशोधन** करने पर **संशोधित** दरों से मजदुरी भुगतान करने का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। इस कार्यालय से किसी प्रकार से सरकार द्वारा मजदुरी दरों में **संशोधन होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।**
15. सेवा प्रदाता नियोजित श्रमिकों को मजदुरी का भुगतान अधिकतम 07 दिवस में उनके बैंक खाता के माध्यम से करना होगा। जिसकी जमा रसीद प्रतिमाह बिल के संलग्न करना होगा। किसी प्रकार के भुगतान **शिकायत** पर आगामी बिल का पारित करने अथवा नहीं करने का अधिकार कॉलेज **प्रशासन** के पास सुरक्षित रहेगा।
16. सफल सेवा प्रदाता का कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा शर्तो/नियमों की पालना नहीं करने पर 07 दिवस के नोटिस पर बोली निष्पादन सुरक्षा **राशि**/कार्य निष्पादन सुरक्षा **राशि** जब्त कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेवा प्रदाता की ही होगी।
17. ठेका कार्य अवधि अनुबधं में अकिंत तिथि से 31.03.2025 तक होगी, जो किसी **विशेष** परिस्थितियों में आपसी सहमति से अधिकतम 03 माह तक बढ़ाया जा सकेगा।
18. सेवा प्रदाता को किसी राज्य/केन्द्रिय सरकारों में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा।
19. किसी नियोजित श्रमिक की ठेका अवधि में आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर किसी प्रकार के मुवावजा या नुकसान भरपाई की सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेवा प्रदाता एजेंसी की ही होगी। सरकार किसी प्रकार का भुगतान करने के लिये बाध्यकारी नहीं होगी।
20. नियोजित श्रमिकों द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, अपराधिक/अवाछंनीय गतिविधियों में लिप्त पाये जाने अथवा अभद्र व्यवहार करने/शिकायत पर अपराध मानते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेवा प्रदाता एवं सम्बधिंत श्रमिक की होगी।
21. सभी प्रकार के उपकरणों/फर्नीचरों के सही संधारण कि जिम्मेवारी नियोजित श्रमिक की होगी। यदि कर्मकार की वजह से किसी प्रकार का नुकसान पाया गया तो माहवार ठेका बिल में से आवश्यकतानुसार नुकसान की वसूली की जा सकेगी।
22. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेगी उसे निविदा खोलने की दिनांक से तीन दिवस में 500/–रू0 नॉन **ज्यूडीशियल** स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका व्यय सम्बधित फर्म को वहन करना होगा एवं पूर्व में जमा 2 प्रतिशत बिड सिक्युरिटी राशि को समायोजित करते हुए अनुमानित लागत की **राशि 3 प्रतिशत** के बराबर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्युरिटी **राशि कुल 5 प्रतिशत** (Performance Security Deposit) के रूप में विभागीय निर्देषानुसार 3 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा विफल रहने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के बिड सिक्युरिटी **राशि** जब्त कर ली जावेगी। Small Scale Industries के रुप में पंजिकृत सेवा प्रदाताओं से 0.5% तथा BIFR संस्था द्वारा घोषित Sick Industries धारित सेवा प्रदाताओं से 1.0% कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराने के पात्र होगें।
23. सफल सेवा प्रदाता को अनुबधं के वक्त नियोजित होने वाले कर्मकारों की सूची तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव सबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साईज फोटो एवं आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
24. सफल सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित समयावधि में कर्मकारों को उपलब्ध नहीं कराने, कार्य निष्पादन सुरक्षा **राशि** जमा नहीं कराने तथा अनुबधं सबंधिं कार्यवाही नहीं करने पर नियमानुसार जमा बोली सुरक्षा राशि/कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त करते हुए **कार्यादेश** निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी सेवा प्रदाता की होगी।
25. सेवा प्रदाता अथवा कर्मकार के मध्य उत्पन्न विवाद के लिये अथवा इससे सम्बधित किसी न्यायालय में अनुलाभ प्राप्त करने की कार्यवाही करता है तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की नहीं होकर, सेवा प्रदाता एजेंसी की होगी।

अध्यक्ष/सचिव
महाविद्यालय विकास समिति
डी.आर.जे. राजकीय कन्या महाविद्यालय
बालोतरा

26. सभी बोलीदाताओं / सेवा प्रदाताओं को राजस्थान लोक उपापन नियम 2013 तथा **पारदर्शिता** अधिनियम 2012 के प्रावधानों की पालना **सुनिश्चित** करनी होगी।
27. समस्त न्यायिक मामलों में क्षैत्र बालोतरा रहेगा।
28. निविदादाता द्वारा अपनी सर्विस चार्ज की उचित दर अंको में रूपये में (**प्रतिशत** में नहीं) पूर्णांक रूपयों में अंकित करनी होगी। ऋणात्मक या शून्य सर्विस चार्ज वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
29. नियोजित कार्मिक के EPF, ESI के निजी अंशदान की कटौती सेवा प्रदाता के स्तर पर पारिश्रमिक से की जाकर जमा होगी।
30. निविदा दाता द्वार की जाने वाली घोषणा (सलंग्न प्रपत्र) पत्र हस्ताक्षर एवं मोहर सहित सलंग्न करना होगा।

सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर

अध्यक्ष एवं प्राचार्य
महाविद्यालय विकास समिति
राजकीय कन्या महाविद्यालय
बालोतरा

अध्यक्ष/सचिव
महाविद्यालय विकास समिति
डी.आर.जे. राजकीय कन्या महाविद्यालय
बालोतरा

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म/इकाई/एजेन्सी/संस्था द्वारा जहां भी मानव संसाधन की आपूर्ति की है उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Substandard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदयागी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो महाविद्यालय प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति, डी आर जे कन्या महाविद्यालय, बालोतरा को प्रदत्त करता हुँ/करते है। तथा उपर्युक्त निविदा में शर्त संख्या 1 से अन्य तक को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं निविदा में वर्णित समस्त, शर्तों को मानने हेतु सहमत हुँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

नाम ....

पत्र व्यवहार का पता..

....

....

मोबाईल नम्बर ....

अध्यक्ष/सचिव
महाविद्यालय विकास समिति
डी.आर.जे. राजकीय कन्या महाविद्यालय
बालोतरा

(6)

50 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (नोटेरी शुदा)

शपथ पत्र

श्री...पुत्र श्री..जाति......................

निवासी..तहसील..जिला..राज्य..............

.... प्रो. मै... यह शपथ पूर्व बयान करता हूँ कि :–

1. यह है कि मेरी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/उपक्रम/बोर्ड/निकाय/संस्था द्वारा विवर्जित/ ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह है कि मेरी फर्म पूर्व में भी किसी तरह से ब्लेक लिस्टेड से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा न ही किसी तरह से मैने फर्म के नाम से गलत उपयोग किया है।
3. यह है कि बोली प्रकिया के निर्णय से संबंधित कार्मिकों/अधिकारियों तथा क्रय आदेष देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोकसेवकों/संविदाकर्मियों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है एवं न ही मेरे परिजन है।
4. यह है कि मेरे या मेरी फर्म के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित नही है एवं न ही किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।
5. यह हैं कि मेरी फर्म का अनुबंध समय से पूर्व समाप्त कर पृथक से बोली जारी की जाती हैं तो इस सबंध में मेरे द्वारा कोई वाद/आपति दर्ज नहीं की जावेगी।
6. यह है कि मैंने/हमने अध्यक्ष एवं प्राचार्य महाविद्यालय विकास समिति राजकीय कन्या महाविद्यालय बालोतरा द्वारा बोली प्रपत्र की सभी शर्तें पढकर समझ ली है तथा मैं/हम इन समस्त शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हूं एवं मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार है। साथ ही यदि तकनीकी बोली में मैं/हम असफल रहता हूं/रहते है तो मेरी/हमारी वित्तीय बोली नहीं खोली जावें।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय फर्म सील

तस्दीक :–

मैं शपथपूर्वक तस्दीक करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम जानकारी मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी जमा धरोहर राषि जब्त की जा सकेगी। परमात्मा मेरी मदद करें।

अध्यक्ष/सचिव
महाविद्यालय विकास समिति
डी.आर.जे. राजकीय कन्या महाविद्यालय
बालोतरा

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय फर्म सील